

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses (Cluster Demonstrations on improved technology- Lentil) during the year Rabi- 2023-24(Assistance @ Rs. 3600/- acre) | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) |
| 1 | Ambala | 40 | 1.44 | 32 | 1.15 | 8 | 0.29 |
| 2 | Bhiwani | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 3 | C.Dadri | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 4 | Faridabad | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 5 | Fatehabad | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 6 | Gurugram | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 7 | Hisar | 20 | 0.72 | 16 | 0.58 | 4 | 0.14 |
| 8 | Jhajjar | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 9 | Jind | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 10 | Kaithal | 25 | 0.90 | 20 | 0.72 | 5 | 0.18 |
| 11 | Karnal | 25 | 0.90 | 20 | 0.72 | 5 | 0.18 |
| 12 | Kurukshetra | 20 | 0.72 | 16 | 0.58 | 4 | 0.14 |
| 13 | M/garh | 40 | 1.44 | 32 | 1.15 | 8 | 0.29 |
| 14 | Mewat | 20 | 0.72 | 16 | 0.58 | 4 | 0.14 |
| 15 | Palwal | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 16 | Panchkula | 20 | 0.72 | 16 | 0.58 | 4 | 0.14 |
| 17 | Panipat | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 18 | Rewari | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 19 | Rohtak | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 20 | Sirsa | 20 | 0.72 | 16 | 0.58 | 4 | 0.14 |
| 21 | Sonipat | 10 | 0.36 | 8 | 0.29 | 2 | 0.07 |
| 22 | Y.Nagar | 25 | 0.90 | 20 | 0.72 | 5 | 0.18 |
| Total | | 375 | 13.50 | 300.00 | 10.80 | 75.00 | 2.70 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses- (Cluster Demonstrations on improved technology- Gram) Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 3600/- acre) | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in Lakhs) |
| 1 | Ambala | 80 | 2.88 | 64 | 2.30 | 16 | 0.58 |
| 2 | Bhiwani | 165 | 5.94 | 132 | 4.75 | 33 | 1.19 |
| 3 | C.Dadri | 100 | 3.60 | 80 | 2.88 | 20 | 0.72 |
| 4 | Faridabad | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 5 | Fatehabad | 100 | 3.60 | 80 | 2.88 | 20 | 0.72 |
| 6 | Gurugram | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 7 | Hisar | 160 | 5.76 | 128 | 4.61 | 32 | 1.15 |
| 8 | Jhajjar | 100 | 3.60 | 80 | 2.88 | 20 | 0.72 |
| 9 | Jind | 80 | 2.88 | 64 | 2.30 | 16 | 0.58 |
| 10 | Kaithal | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 11 | Karnal | 90 | 3.24 | 72 | 2.59 | 18 | 0.65 |
| 12 | Kurukshetra | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 13 | M/garh | 140 | 5.04 | 112 | 4.03 | 28 | 1.01 |
| 14 | Mewat | 100 | 3.60 | 80 | 2.88 | 20 | 0.72 |
| 15 | Palwal | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 16 | Panchkula | 90 | 3.24 | 72 | 2.59 | 18 | 0.65 |
| 17 | Panipat | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 18 | Rewari | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 19 | Rohtak | 110 | 3.96 | 88 | 3.17 | 22 | 0.79 |
| 20 | Sirsa | 170 | 6.12 | 136 | 4.90 | 34 | 1.22 |
| 21 | Sonipat | 70 | 2.52 | 56 | 2.02 | 14 | 0.50 |
| 22 | Y.Nagar | 80 | 2.88 | 64 | 2.30 | 16 | 0.58 |
| Total | | 2125 | 76.50 | 1700 | 61.20 | 425 | 15.30 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण रू0 5000/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Lentil Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2023-24 | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakhs) |
| 1 | Ambala | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 2 | Bhiwani | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 3 | C.Dadri | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 4 | Faridabad | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 5 | Fatehabad | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 6 | Gurugram | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 7 | Hisar | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 8 | Jhajjar | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 9 | Jind | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 10 | Kaithal | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 11 | Karnal | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 12 | Kurukshetra | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 13 | M/garh | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 14 | Mewat | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 15 | Palwal | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 16 | Panchkula | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 17 | Panipat | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 18 | Rewari | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 19 | Rohtak | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 20 | Sirsa | 4 | 0.20 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 21 | Sonipat | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 22 | Y.Nagar | 5 | 0.25 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| Total | | 100 | 5.00 | 78 | 3.90 | 22 | 1.10 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण रू0 5000/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Gram Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2023-24 | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) |
| 1 | Ambala | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 2 | Bhiwani | 120 | 6.00 | 96 | 4.80 | 24 | 1.20 |
| 3 | C.Dadri | 40 | 2.00 | 32 | 1.60 | 8 | 0.40 |
| 4 | Faridabad | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 5 | Fatehabad | 60 | 3.00 | 48 | 2.40 | 12 | 0.60 |
| 6 | Gurugram | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 7 | Hisar | 110 | 5.50 | 88 | 4.40 | 22 | 1.10 |
| 8 | Jhajjar | 60 | 3.00 | 48 | 2.40 | 12 | 0.60 |
| 9 | Jind | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 10 | Kaithal | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 11 | Karnal | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 12 | Kurukshetra | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 13 | M/garh | 70 | 3.50 | 56 | 2.80 | 14 | 0.70 |
| 14 | Mewat | 50 | 2.50 | 40 | 2.00 | 10 | 0.50 |
| 15 | Palwal | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 16 | Panchkula | 50 | 2.50 | 40 | 2.00 | 10 | 0.50 |
| 17 | Panipat | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 18 | Rewari | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 19 | Rohtak | 50 | 2.50 | 40 | 2.00 | 10 | 0.50 |
| 20 | Sirsa | 70 | 3.50 | 56 | 2.80 | 14 | 0.70 |
| 21 | Sonipat | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| 22 | Y.Nagar | 10 | 0.50 | 8 | 0.40 | 2 | 0.10 |
| Total | | 800 | 40.00 | 640 | 32.00 | 160 | 8.00 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के (17 जिलों) अम्बाला, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व यमुनानगर में 10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण रू0 2500/ क्विंटल सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses more than 10 year for Certified Seed Distribution-Lentil Rabi 2023-24 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) |
| 1 | Ambala | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 2 | Bhiwani | 5 | 0.125 | 4 | 0.100 | 1 | 0.025 |
| 3 | Gurugram | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 4 | Hisar | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 5 | Jhajjar | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 6 | Jind | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 7 | Kaithal | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 8 | Karnal | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 9 | Kurukshetra | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 10 | M/garh | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 11 | Mewat | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 12 | Palwal | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 13 | Panchkula | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 14 | Rewari | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 15 | Rohtak | 5 | 0.125 | 4 | 0.100 | 1 | 0.025 |
| 16 | Sirsa | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| 17 | Y.Nagar | 4 | 0.100 | 3 | 0.075 | 1 | 0.025 |
| Total | | 70 | 1.750 | 53 | 1.325 | 17 | 0.425 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2023 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण रू0 2500/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses More than 10 year for Certified Seed Distribution-Gram Rabi 2023-24 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) | Phy. (in qtl.) | Fin. (Rs. in Lakh) |
| 1 | Ambala | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 2 | Bhiwani | 20 | 0.50 | 16 | 0.40 | 4 | 0.10 |
| 3 | Ch.Dadri | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 4 | Faridabad | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 5 | Fatehabad | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 6 | Gurugram | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 7 | Hisar | 17 | 0.43 | 13 | 0.33 | 4 | 0.10 |
| 8 | Jhajjar | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 9 | Jind | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 10 | Kaithal | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 11 | Karnal | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 12 | Kurukshetra | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 13 | M/garh | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 14 | Mewat | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 15 | Palwal | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 16 | Panchkula | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 17 | Panipat | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 18 | Rewari | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 19 | Rohtak | 10 | 0.25 | 8 | 0.20 | 2 | 0.05 |
| 20 | Sirsa | 20 | 0.50 | 16 | 0.40 | 4 | 0.10 |
| 21 | Sonipat | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| 22 | Y.Nagar | 5 | 0.13 | 4 | 0.10 | 1 | 0.03 |
| Total | | 187 | 4.675 | 149 | 3.725 | 38 | 0.95 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सूक्ष्म तत्व के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

सूक्ष्म तत्व के वितरण पर रू0 200/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of Micronutrient under NFSM- Pulses Rabi-2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.) | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 2 | Bhiwani | 340 | 0.68 | 272 | 0.54 | 68 | 0.14 |
| 3 | C.Dadri | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 4 | Faridabad | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 5 | Fatehabad | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 6 | Gurugram | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 7 | Hisar | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 8 | Jhajjar | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 9 | Jind | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 10 | Kaithal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 11 | Karnal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 12 | Kuk | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 13 | M.Garh | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 14 | Mewat | 245 | 0.49 | 196 | 0.39 | 49 | 0.10 |
| 15 | Palwal | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 16 | Panchkula | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 17 | Panipat | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 18 | Rewari | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 19 | Rohtak | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 20 | Sirsa | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 21 | Sonipat | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 22 | Y.Nagar | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| | Total | 5125 | 10.25 | 4100 | 8.20 | 1025 | 2.05 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/[उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में जैविक खाद के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

जैविक खाद के वितरण पर रू0 120/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of Bio-Fertilizer under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 120/ acre or 50% of the cost whichever is less.) | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 2 | Bhiwani | 350 | 0.42 | 280 | 0.34 | 70 | 0.08 |
| 3 | C.Dadri | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 4 | Faridabad | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 5 | Fatehabad | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 6 | Gurugram | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 7 | Hisar | 250 | 0.30 | 200 | 0.24 | 50 | 0.06 |
| 8 | Jhajjar | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 9 | Jind | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 10 | Kaithal | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 11 | Karnal | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 12 | Kuk | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 13 | M.Garh | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 14 | Mewat | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 15 | Palwal | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 16 | Panchkula | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 17 | Panipat | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 18 | Rewari | 200 | 0.24 | 160 | 0.19 | 40 | 0.05 |
| 19 | Rohtak | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 20 | Sirsa | 250 | 0.30 | 200 | 0.24 | 50 | 0.06 |
| 21 | Sonipat | 250 | 0.30 | 200 | 0.24 | 50 | 0.06 |
| 22 | Y.Nagar | 250 | 0.30 | 200 | 0.24 | 50 | 0.06 |
| | Total | 4500 | 5.40 | 3600 | 4.32 | 900 | 1.08 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण रसायन के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन के वितरण पर रू0 200/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of PP Chemical under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.) | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 2 | Bhiwani | 370 | 0.74 | 296 | 0.59 | 74 | 0.15 |
| 3 | C.Dadri | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 4 | Faridabad | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 5 | Fatehabad | 280 | 0.56 | 224 | 0.45 | 56 | 0.11 |
| 6 | Gurugram | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 7 | Hisar | 275 | 0.55 | 220 | 0.44 | 55 | 0.11 |
| 8 | Jhajjar | 290 | 0.58 | 232 | 0.46 | 58 | 0.12 |
| 9 | Jind | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 10 | Kaithal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 11 | Karnal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 12 | Kuk | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 13 | M.Garh | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| 14 | Mewat | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 15 | Palwal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 16 | Panchkula | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 17 | Panipat | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 18 | Rewari | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 19 | Rohtak | 270 | 0.54 | 216 | 0.43 | 54 | 0.11 |
| 20 | Sirsa | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 21 | Sonipat | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| 22 | Y.Nagar | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| | Total | 5625 | 11.25 | 4500 | 9.00 | 1125 | 2.25 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में खरपतवार नाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

खरपतवार नाशी के वितरण पर रू0 200/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of Weedicide under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.) | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 2 | Bhiwani | 370 | 0.74 | 296 | 0.59 | 74 | 0.15 |
| 3 | C.Dadri | 240 | 0.48 | 192 | 0.38 | 48 | 0.10 |
| 4 | Faridabad | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 5 | Fatehabad | 280 | 0.56 | 224 | 0.45 | 56 | 0.11 |
| 6 | Gurugram | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 7 | Hisar | 275 | 0.55 | 220 | 0.44 | 55 | 0.11 |
| 8 | Jhajjar | 290 | 0.58 | 232 | 0.46 | 58 | 0.12 |
| 9 | Jind | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 10 | Kaithal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 11 | Karnal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 12 | KKR | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 13 | M.Garh | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| 14 | Mewat | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 15 | Palwal | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 16 | Panchkula | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 17 | Panipat | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 18 | Rewari | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 19 | Rohtak | 270 | 0.54 | 216 | 0.43 | 54 | 0.11 |
| 20 | Sirsa | 250 | 0.50 | 200 | 0.40 | 50 | 0.10 |
| 21 | Sonipat | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| 22 | Y.Nagar | 300 | 0.60 | 240 | 0.48 | 60 | 0.12 |
| | Total | 5625 | 11.25 | 4500 | 9.00 | 1125 | 2.25 |

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#) /[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर रू0 600/ प्रति पम्प सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 600/ unit.) | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 2 | Bhiwani | 20 | 0.12 | 16 | 0.10 | 4 | 0.02 |
| 3 | C.Dadri | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 4 | Faridabad | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 5 | Fatehabad | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 6 | Gurugram | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 7 | Hisar | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 8 | Jhajjar | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 9 | Jind | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 10 | Kaithal | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 11 | Karnal | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 12 | Kuk | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 13 | M.Garh | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 14 | Mewat | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 15 | Palwal | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 16 | Panchkula | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 17 | Panipat | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 18 | Rewari | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 19 | Rohtak | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 20 | Sirsa | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 21 | Sonipat | 5 | 0.03 | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 22 | Y.Nagar | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| | Total | 200 | 1.20 | 160 | 0.96 | 40 | 0.24 |

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्त्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा ।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है ।
- 3 किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी ।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर रू0 3000/ प्रति पम्प सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

| District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer) under NFSM- Pulses Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.) | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 5 | 0.15 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 |
| 2 | Bhiwani | 23 | 0.69 | 18 | 0.55 | 5 | 0.14 |
| 3 | C.Dadri | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 4 | Faridabad | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 5 | Fatehabad | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 6 | Gurugram | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 7 | Hisar | 15 | 0.45 | 12 | 0.36 | 3 | 0.09 |
| 8 | Jhajjar | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 9 | Jind | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 10 | Kaithal | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 11 | Karnal | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 12 | Kuk | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 13 | M.Garh | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 14 | Mewat | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 15 | Palwal | 5 | 0.15 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 |
| 16 | Panchkula | 5 | 0.15 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 |
| 17 | Panipat | 5 | 0.15 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 |
| 18 | Rewari | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| 19 | Rohtak | 15 | 0.45 | 12 | 0.36 | 3 | 0.09 |
| 20 | Sirsa | 15 | 0.45 | 12 | 0.36 | 3 | 0.09 |
| 21 | Sonipat | 5 | 0.15 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 |
| 22 | Y.Nagar | 10 | 0.30 | 8 | 0.24 | 2 | 0.06 |
| | Total | 223 | 6.69 | 178 | 5.35 | 45 | 1.34 |

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा